राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग जयपुर

क्रमांक :– प.10(800) परि/स.सु./सुरक्षा उपकरण/2019/27638 जयपुर, दिनांकः 08/11/2019

खुली निविदा सूचना संख्या–3/2019–20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से **Providing and Fixing Retro Reflective Tape on Departmental Vehicles** के उपापन हेतु निर्माताओं/प्राधिकृत डीलर्स से खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित की जाती है इस निविदा के दो भाग होगे (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	विवरण	
1.	वाहनों की संख्या	297
2.	अनुमानित राशि	रु. 3.55 लाख
3.	बोली प्रतिभूति (अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत)	रु. 7100.00
4.	बिड शुल्क	रु. 200.00
5.	बोली/निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	19.11.2019 दोपहर 12 बजे तक
6.	बोली/निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	19.11.2019 मध्यान्ह 3:00 बजे
7.	तकनीकी निविदा/बोली खोलने की तिथि व समय	19.11.2019 सायं 4:00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें इस कार्यालय से निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का भुगतान नगद/बैंक ड्राफ्ट (आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय) जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। इस निविदा प्रपत्र को विभाग की वेबसाइट www.transport.rajasthan.gov.in एवं http:/sppp.raj.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड़ किया जा सकता है। डाउनलोड़ किये गये निविदा प्रपत्र का शुल्क निविदा के साथ पृथक् से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक (आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय) के माध्यम से जमा कराना होगा।

बोली/निविदा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक, 'आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर' के नाम जयपुर ब्रांच पर देय होगा जिसे निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय–आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर में जमा कराना होगा।

निविदा के दो भाग– तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनों लिफाफों पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली निविदा प्रपत्र) कर एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत की जाएगी। इस के अतिरिक्त जिन आइटम्स के लिये निविदा प्रस्तुत की गई है उन आइटम्स का एक–एक सैम्पल हस्ताक्षरशुदा सीलड कवर में प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट :–

1. वाहनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में Retro Reflective Tape चिपकाने का कार्य पूर्ण करना होगा।
2. रिफ्लेक्टिव टेप निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट–ई) में वर्णित स्पेसिफिकेशन का होंगा तथा परिशिष्ट–ई में अंकित तरीके/कलर के अनुसार वाहनों पर चिपकाया जायेगा। इनका भौतिक रूप से डेमोंस्ट्रेशन नियमानुसार लिया जा सकेगा।
3. सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

(महेन्द्र कुमार खींची)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

208, Road Safety Cell, Praivahn Bhawan Shakar Marg, Jaipur (Raj)
Phone : 0140–5194610 E-Mail: addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

कार्यालय परिवहन आयुक्त, राजस्थान जयपुर

बोली (Bid) की मुख्य शर्तें :–

1. सर्वप्रथम उपापन समिति द्वारा तकनीकी निविदा खोली जायेगी, जो निविदा तकनीकी रूप से योग्य पायी जायेगी उन्हीं की वित्तीय बोली खोली जायेगी। बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली को छोड कर शेष समस्त दस्तावेज यथा–शर्तें, घोषणा, स्पेसिफिकेशन इत्यादि तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं। तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनों लिफाफों पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र) कर एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत की जाएगी।
2. **शुल्क (Fees)**

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Doucument & Bid Security fees) एवं बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निम्नानुसार दी जायेगीः–

शुल्क विवरण	बोली शुल्क की राशि	किसके पक्ष में
बोली प्रपत्र शुल्क	रु. 200/–	आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
बोली प्रतिभूति	बोली की कुल अनुमानित राशि का 2% बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार	आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(ब)उक्तानुसार बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा यदि निविदा प्रपत्र SPPP Portal से डाउनलोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 200/– का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा के अभाव में निविदा/बोली मान्य नहीं होगी तथा उसे तकनीकी/वित्तीय बिड में शामिल नही किया जाएगा।

3. **पात्रता (Eligibility) -**

उक्त आइटम्स के लिए खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण में अपेक्षित सूचना के अनुसार आइटम्स की बोलियां, संबंधित आइटम के निर्माता एवं निर्माता द्वारा आइटम विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर द्वारा ही दी जाऐंगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर उपलब्ध करवाना होगा।

4. **अनुभव (Experience)-**

बोलीदाता को बोलीदत्त उपकरण/आइटम की सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम में विगत तीन वर्षो में कम से कम दो आपूर्ति एवं प्रत्येक आपूर्ति अनुमानित कुल मूल्य की 50% राशि के कम नहीं हो, का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिये निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा–

(i) विगत तीन वर्षो में कम से कम दो सप्लाई आदेश एवं उनके संतोषप्रद पूर्णता बाबत् प्रमाण पत्र।

(ii) बोलीदाता (Bidder) का विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर बोलीदाता आइटम के निविदा मूल्य के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप बोलीदाता को चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

(iii) वित्त (SPFC) विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.08.2018 के अनुसार राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (M.S.M.E) को उपापन की विषय–वस्तु में अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय--वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में उपापन संस्था द्वारा तकनीकी अर्हताओं की अपेक्षा में शिथिलीकरण प्रदान कर के माल और सेवाओं के उपापन के लिए साध्य सीमा तक क्रय अधिमानता दी जायेगी।

5. **सैम्पल (Sample)-**

(i) बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी बिड़ खुलने की दिनांक व समय से पूर्व हस्ताक्षरशुदा सील्ड कवर में सेम्पल प्रस्तुत किया/किये जायेंगे।

(ii) विभागीय उपापन (Procurement) समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित आइटम्स के सैम्पल की जाँच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

6. **दस्तावेज (Document)**

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण--पत्र एवं जी.एस.टी रिटर्न की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट--स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करने के उपरान्त तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और खुली प्रतियोगी बोली में उसको आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

7. **वैधता (Validity)**

बोली की वैधता–बोली, वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

(i) क्रय किये जाने वाले उपकरणों/आइटम्स की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी अथवा बोली निरस्त भी की जा सकेगी।

(ii) खुली प्रतियोगी बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्नलिखित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :–

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), परिवहन विभाग, राज. जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2850609 ई–मेल addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in
कार्यालय, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर

8. **अन्य शर्तें (other condition)**

(i) उपरोक्तानुसार शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ,ब,स, में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी अर्थात सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

ii) प्राधिकृत डीलर के रूप में खुली प्रतियोगी बोली प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आइटम निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर के प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

9. सामान्य सूचना (General Information)

(i) यदि किसी बोलीदाता की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन (Procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forfeit) किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन (Procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(ii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ,ब,स,द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure) –अ,ब,स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iii) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगे।

(iv) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(v) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी, आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, होंगे।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
(बोली प्रपत्र–तकनीकी बिड) –
परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 03/2019–20 दिनांक–

Providing and Fixing Retro Reflective Tape on Departmental Vehicles के लिये बोली

(1) बोली प्रस्तुत करने बाली फर्मः–.......................................का नाम डाक का पूर्ण पता .... दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल ....

(2) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी हैः– अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) सन्दर्भ :–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः– 03 दिनांक....................जो............(समाचार पत्र का नाम) दिनांक................. में प्रकाशित हुई है।

(4) बोली प्रपत्र शुल्क :–राशि रूपये 200/– जी.ए. 55 रसीद/बैंकर चैक/डीडी संख्या......... दिनांक.......... द्वारा जमा करा दी है।

(5) बोली प्रतिभूति शुल्क :–राशि रूपये .... बैंकर चैक/डीडी नं.......................दिनांक.. द्वारा जमा करा दी है।

(6) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या 03/2019–20 दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं।

(7) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(8) हम सम्पुष्टि (Confirm) करते है कि वित्तीय निविदा में अंकित की गई दरें वित्तीय निविदा बिड'' खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य है।

(9) हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय निविदा में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''इ'' में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।

(10) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या ....GSTIN

(11) हम सम्पुष्टि करते हैं कि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

(12) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	हां/नहीं	जारी दिनांक / वैधता दिनांक
1	बोली प्रपत्र शुल्क जी.ए. 55 रसीद/बैंकर चैक/डीडी नं............		
2	बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डीडी नं........ दिनांक.......राशि..........		
3	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र		
4	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)		
5	अनुलग्नक 'ब' (Annexure-B),रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए।		
6	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति		
7	जीएसटी रिटर्न की प्रति		
8	उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार की प्रति		
9	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 10 के तहत प्रपत्र 'क'		
10	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 के तहत प्रपत्र 'ख' में शपथ पत्र		
11	मूल निर्माता का आइटम निर्माण संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र मय पैन नम्बर		
12	प्राधिकृत डीलर द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में :– निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र		
13	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार		
14	वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज–चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स शीट वित्तीय वर्ष– 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19		

(13)हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

(14)हमारे द्वारा निविदा के आइटम्स का एक सील्ड सैम्पल निविदा में अंकितानुसार दिनांक 19.11.2019 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर में उपस्थित होकर जमा करवा दिये जायेंगे।

नोट :–

1. क्रम संख्या (12) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख हाँ/नहीं दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issuing date) तथा वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।

2. बोली भरने की प्रक्रिया :–
   (a) परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है, तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' ''द'' एवं ''इ'' तथा अनुलग्नक अ,ब,स,(Annexure-A,B,C) में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आइटम के परिशिष्ट--इ में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार सैम्पल हस्ताक्षर शुदा सील्ड कवर में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, जयपुर में प्रस्तुत किए जावेंगे।
   (b) परिशिष्ट ''ब'' वित्तीय निविदा है उसे निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी निविदा में योग्य बोलीदाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय, आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।

परिशिष्ट "ब"

(बोली प्रपत्र–वित्तीय निविदा) –

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 03/2019–20 दिनांक–

Providing and Fixing Retro Reflective Tape on Departmental Vehicles के लिये बोली

(1) बोली प्रस्तुत करने बाली फर्मः–.....................................का नाम डाक का पूर्ण पता .... दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल ....

(2) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी हैः– अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), राज.,जयपुर।

(3) सन्दर्भ :–बोली आमंत्रण सूचना संख्या 03/2019–20 दिनांक....................जो............(समाचार पत्र का नाम) दिनांक................. में प्रकाशित हुई है।

(4) Retro Reflective Tape के लिए दरें एवं मात्रा निम्नानुसार होगीः–

क्र. स	आइटम	मात्रा	प्रति वाहन पर कार्य की दर (रु.)	297 वाहनों पर कार्य की कुल राशि (रु.)	G.S.T की लागू दर(प्रतिशत)	G.S.T की कुल राशि (रु.)	कुल योग(5+7) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Providing and Fixing Retro Reflective Tape on Departmental Vechicles (परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप)	297 वाहन					

नोटः–

(1) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावें। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(2) अस्पष्ट वाक्य जैसेः– 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

(3) जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बधी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करें।

(4) बोली भरने की प्रक्रियाः–
खुली प्रतियोगी बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया, बोली आमंत्रण सूचना एवं परिशिष्ट–अ में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय, आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट– "स"

खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक 03/2019–20

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें :

1. बोली भरने की प्रक्रियाः–खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :–

(अ) निर्माता/प्राधिकृत डीलर द्वारा बोलियां:–

(i) सभी आइटम्स के लिए बोली, आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार संबंधित आइटम्स के निर्माता/निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्संबंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगें।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित आइटम के वास्तविक निर्माता/प्राधिकृत डीलर होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा बोली:–

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई बोलीदाताओं के लिये उक्त इकाइयों के रूप में उद्योग विभाग राजस्थान में वैध पंजीकरण इकाई अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार, बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिये।

(ii) उक्त उधमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे।

शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति इकाई अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निधारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति इकाई अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है , के द्वारा खुली प्रतियोगी बोली में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति इकाई प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'ख' के अनुसार शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगें इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम लद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 (वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.2018 द्वारा यथा संशोधित)के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'क' (वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.2018 द्वारा यथा संशोधित) में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II (EM-II) एवं बिन्दु संख्या 11 के निर्धारित प्रारूप 'ख' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के नियम 12 की पालना में गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म, लघु या यथास्थिति, मध्यम उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन की गुणवत्ता बाबत जाँच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम, 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 (वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.2018 द्वारा यथा संशोधित) में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जी.एस.टी.आर (GST Return) की प्रति :–**

   (i) बोलीदाता द्वारा जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाणपत्र एवं GSTR (GST Return) की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावेगी।

   (ii) यदि किसी आइटम पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी।

5. बोलीदाता द्वारा बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट– 'द' तथा अनुलग्नक 'ब' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होंगें, इस के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता हे तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7. दरें :–

(i) बोली में दरें शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएं एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) व उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) इकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(i) बोली में दर अंकित करते समय आइटम की दर एवं उस पर लागू GST की दर प्रथक–प्रथक अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(ii) बोली में दरें परिशिष्ट "इ" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। परिवहन विभाग द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट "इ" में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।

(iii) सशर्त बोली मान्य नहीं की जावेगी।

(iv) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में परिवर्तन करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उस की बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(vii) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. **क्रय अधिमानता :–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 (वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.2018 द्वारा यथा संशोधित) के अनुसार स्थानीय उद्यमों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

9. **बातचीत (Negotiation):–**

(i) जहां तक संभव हो बोलीकारों से काई बातचीत नहीं की जाएंगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम बोली या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. **बोली की विधि मान्यता:–**

दरों की वैधता वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगी। निर्धारित विधिमान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली आइटम्स की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा।

13. **स्पेसिफिकेशनः—**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी आइटम्स बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। प्रदाय की गई आइटम्स की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली आइटम/सामग्री में निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर का माल देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जायेगा। माल अस्वीकृत हाने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट—फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14. **सैम्पलः—**

(i) बोली के साथ मांगे जा रहे आइटम्स के सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित सीलड पैकेट में प्रस्तुत किए जावेंगे एवं आइटम्स के सैम्पल की विभागीय उपापन समिति द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी राजकीय/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर लिख कर सुरक्षित ढ़ंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें बोलीदाता का नाम व आइटम की क्रम संख्या भी अकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट—फूट, परीक्षण जाँच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात् यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते है तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(v) असफल बोलीदाता द्वारा, अनुमोदित नहीं किये गऐ सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति राशि विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जावेंगे। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट–फूट या परीक्षण जाँच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नहीं लिये जावेगे विभाग द्वारा उनका समपहरण किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

15. **निरीक्षण एवं परीक्षण :–**

(i) (A) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) राजस्थान, जयपुर या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त समय पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित आइटम के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात् जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच कर सकेगा।

(B) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी के द्वारा राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशॉप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) आइटम्स की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण व जाँच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहा आवश्यक हो प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालओं / प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभार :– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या सही स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(v) **रद्द करना** (Rejection) :– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो आइटम अनुमोदित नहीं किये जायेंगे उन्हें रद्द किया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वंय की लागत पर उन्हे बदला जावेगा।

(vi) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर तथा कारणों को अभिलिखित करके अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(vii) आपूर्ति किया गया माल/आइटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाया जाने पर बोलीदाता के विरुद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाई करने के लिए सक्षम होगा।

16. **माल की सप्लाई :–**

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जाँच निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गयी किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिये बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इस के लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्रधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेलवे या गुडस ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताये गये परिसर/स्थानों पर भेजा जायेगा।

17. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

18. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट–'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, आपूर्ति आदेश अनुसार निर्धारित समयावधि में, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहॉ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेंगें।

19. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) मे वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियॉ आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Order) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अंतिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

20. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract)** के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः—सामान्यतः उपापन की विषय वस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाले आइटम की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषय आइटम गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में आइटम की मात्रा को प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोली दाता की दरों पर रिजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

21. **बोली प्रतिभूति (Bid Security)**:—

(i) राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य बोलीदाताओ द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

(iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिन्हे उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ, बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेडण्म प्राप्त है, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई (अनुमानित राशि का 0.5 प्रतिशत) राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जावेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 में अंकित फार्म 'ख' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv) बोली आमंत्रण में अंकित बोली प्रतिभूति राशि आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से, शैड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।

(v) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):-** असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएंगी।

(vi) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(viii) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगाः

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता हैं।

ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

ग. जब बोलीदाता कार्यादेश जारी होने के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि मे सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

च. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

22. **करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security):-**

अ. सफल बोलीदाता द्वारा, बोली में अंकित आइटम्स की आपूर्ति हेतु, उसको आपूर्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में, निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 500/– मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

ब. करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

स. करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, निर्धारित रूप में जमा करानी होगी :–

i. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः**– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

ii. यदि सफल बोलीदाता उस आइटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के बतौर जो उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हो तो उस आइटम की लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

iii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में आइटम की लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

iv. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस आइटम के क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

v. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की जमा रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति की रकम लौटायी जायेगी।

vi. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

vii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी :–

क. "ई.–ग्रास के माध्यम से जमा" बजटशीर्ष –"8443" सिविल ज़मा –103– प्रतिभूति जमा।

ख. किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,

ग. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

घ. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

ङ. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन समिति को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

च. खण्ड ख से ङ. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदा बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट :– अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी./पास बुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

viii. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, के दो माह बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा। प्रतिदाय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (outstanding dues) नहीं है तथा कोई विवाद नहीं है।

ix. सुरक्षा राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposite):- सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:–

क. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ख. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

ग. जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

x. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

xi. बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :-

क. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ख. यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो तत्संबंधी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

ग. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

घ. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र

xii. साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने संबंधी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

23. **बीमाः-** बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. **भुगतान :-**

i. सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग- I के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

ii. माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे।

iii. विवादास्पद आइटम के संबंध में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

iv. उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब विहित परीक्षण कर लिये जायेगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

v. संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

vi. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :-**
परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period)में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन आइटम्स के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनको बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

क. विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5 प्रतिशत

ख. विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए - 5 प्रतिशत

ग. विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए - 7.5 प्रतिशत

घ. विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10 प्रतिशत

ड. प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश भाग को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड़ दिया जायेगा।

च. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

छ. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने के तुरन्त पश्चात् किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

ज. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो क्रेताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट : प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

25. **वसूलियाँ** :- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट-फूट व रद्द किए गए आइटम्स के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट-फूट व रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित आइटम्स को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

26. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

27. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली की संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा।

28. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आइटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

29. समस्त विधिक कार्रवाई, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर महानगर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

30. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

31. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

32. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

(महेन्द्र कुमार खींची)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
परिवहन विभाग राज. जयपुर।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूं/है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

परिशिष्ट "द"

मैं/हम घोषणा करता हूॅ। करते हैं कि मैंने/ हमने जिस आइटम /स्टोर/ कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/ हम बोनाफाईड विनिर्माता/प्राधिकृत डीलर हूं/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of ....

We hereby certify that M/S Name) ....

of (Address) .... is our authorized dealer in the State of Rajasthan for supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No. .... Dated .... We hereyby undertake to supply the material through him as desired.

(.................................)

Name ....

Signature Attested

Signature of manufacturer

Name................... ..

Designation................

Seal of manufacturer

Annexure-A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participating in a procurement process shall -

a. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that parties performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. Have controlling partners/shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. Have relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid, or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure - B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice inviting Bid No............... Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possesses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Processing Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of there years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure - C

Grievance Redressal during Procurement Process The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner, Transport Department, Rajasthan, Parivahan Bhawan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Additional Chief Secretary, Transport Department, Rajasthan, Jaipur.

1. **Filling an appeal**
   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be aceptable.
2. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filled within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases**
   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
   a. Determination of need of procurement.
   b. Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
   c. The decision of whether or not to enter into negotiations.
   d. Cancellation of a procurement process.
   e. Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**
    a. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
    b. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
    c. Every appeal may be presented to the First or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through a registered post or authorised representative.

6. **Fee for filing appeal**
    a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
    b. The fee shall be paid in the form of Bank Demand Draft or Bankers Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

7. **Procedure for disposal of appeal**
    a. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
    b. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-
        1. hear all the parties to appeal present before him: and
        2. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
    c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
    d. The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal,

Form No. 1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No ....of..........
Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   a. Name of the appellant:
   b. Official address, if any:
   c. Residential address:
2. Name and address of the respondent (s):
   a. .
   b. .
   c. .
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to be provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented

   by a representative, the name and postal address

   of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal

....
....
....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :

   ....
   ....
   ....
   place ....
   Date. ....
   Appellants Signature

कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–इ

Providing and Fixing Retro Reflective Tape on Departmental Vehicles उपापन हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन

Retro Reflective Tape के संबंध में एफ.ओ.आर.मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) एफ.ओ.आर. :– राजस्थान राज्य में परिवहन विभाग के समस्त कार्यालय।

(ख) मात्रा :– 297 वाहनों पर पार्श्व में पीला, आगे सफेद व पीछे लाल रंग का Retro Reflective Tape चिपकाना (एक वाहन पर कुल लम्बाई लगभग 11.5 मीटर)

(ग) सप्लाई अवधि :– कार्यादेश जारी हाने की दिनांक से 30 दिन

(घ) गारंटी/वारंटी :– एक वर्ष की गारंटी

(ङ) स्पेसिफिकेशन :– Retro Reflective Tape का स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार होगा।

Specification for Retro Reflective Tapes

1. The retro reflective conspicuity tapes should conform to AIS:90
2. Conspicuity tapes should have the trade mark or name of the manufacturer, "C" marking indicating the class of material and type approval number as specified by AIS:90 Marking should be clearly visible, legible and shall be indelible.
3. The minimum length of retro reflective conspicuity tapes bundle should be 50 meter.
4. The minimum width of retro reflective conspicuity tapes should be 50 mm.
5. The retro reflective conspicuity tapes shall consist of micro prismatic lenses formed in a durable transparent resin and backed with an aggressive pressure sensitive adhesive and protective liner.
6. The retro reflective conspicuity tapes should be nonmetallic in nature.
7. The sheeting has to be wide angled, colored retro reflective markings designed to enhance both day and night high visibility and detection.
8. Reflectivity of retro reflective conspicuity tapes should be as per Table-1.

Table 1 : Acceptable minimum coefficient of retro reflection for retro reflective conspicuity tapes, conforming to AIS-090 specification

Minimum Values for the Coefficient of Retro-reflection (R) $(cd.m^{-2}.1x^{-1})$ observation Angle 0.33^0				
Colors	Entrance Angle $(^0)$			
$x=0.33^0$ (20')	5^0	30^0	40^0	60^0
Red	120	60s	30	0
Yellow	300	130	75	10
White	450	200	90	16

9. Luminance value of retro reflective conspicuity tapes should be as per Table 2.

Table 2 : Acceptable minimum Luminance factor (Yt%) for conspicuity tapes conforming to AIS090

Colors	Minimum Total Luminance Factor (Yt%)
Red	3%
Yellow	1.6%
White	2.5%

10. The sheeting shall be edge sealed to protect it against water and dust perforation.
11. The retro reflective conspicuity tapes should be highly durable and non-corroding.
12. The retro reflective conspicuity tapes shall meet AIS 090 requirements. It should meet the test criteria as recommended for resistance to weathering visual appearance, color fastness, resistance to corrosion, resistance to fuels, resistance to heat, resistance to cleaning, resistance to penetration of water and dust should be approved by testing agencies as specified in AIS: 37 (detailed Report required), preference will be given to the higher reflectivity values.
13. The retro reflective conspicuity tapes shall be under one year warranty from the manufacturer for the minimum performance.

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

मैंने/हमनें उपरोक्त समस्त शर्तों की ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूं/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में